




नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नही करने वाले अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने राशि जमा कराने हेतु समय की मांग की। अप्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने हेतु समय दिया गया। अप्रार्थी आगामी तारीख पेशियों पर उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी को पुनः नोटिस जारी कर विधिवत् तामील कराई गई। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय टिप्पणी, नोटिस दिनांक 23.10.10, डिक्री आदेश 20.12.10, निष्पादन आदेश दिनांक 5.3.11, विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 04.04.14, 21.12.15, 28.01.16, 25.02.16, 03.05.17, मांग का नोटिस कुल-07, कृषि भूमि नीलामी सूचना की प्रति, रहननामा की प्रति, जमाबन्दी सम्बत् 2071 से 2074 एवं 2070 से 2073 ग्राम बागथर की प्रति पेश की।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान में 450738/- रुपये (जिसमें से अवधि पार असल 173017/- रुपये, ब्याज 211384/-रुपये, द0ब्याज 36315/- रुपये वसूली व्यय 30022/- रुपये ) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अप्रार्थी की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 1155 रकवा

  
(नन्नुमल फहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
धीलपुर



1बीघा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 1161/1574 रकवा 18 विस्वा बांके ग्राम मूडिक किता 2 रकवा कुल 2 बीघा का 1/2 भाग व ख0नं0 886 रकवा 12 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 886/3332 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 886/3333 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा, ख0नं0 886/3335 रकवा 4 बीघा 19 विस्वा, ख0नं0 886/3336 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा किता 5 कुल रकवा 23 बीघा 08 विस्वा बांके ग्राम बागथर का 4/27 भाग, (यानि कुल भूमि 5 बीघा 1 विस्वा) जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 450738/- रूपये जमा नहीं कराई है। तथा अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 1155 रकवा 1बीघा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 1161/1574 रकवा 18 विस्वा बांके ग्राम मूडिक किता 2 रकवा कुल 2 बीघा का 1/2 भाग व ख0नं0 886 रकवा 12 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 886/3332 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 886/3333 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा, ख0नं0 886/3335 रकवा 4 बीघा 19 विस्वा, ख0नं0 886/3336 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा किता 5 कुल रकवा 23 बीघा 08 विस्वा बांके ग्राम बागथर का 4/27 भाग, (यानि कुल भूमि 5 बीघा 1 विस्वा) को जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति नहीं बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थी पर करवाई गई। अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु समय की मांग की। राशि जमा कराने हेतु अप्रार्थी को समय दिया गया। उसके बाद अप्रार्थी ना तो आगामी तारीख पेशीयों पर न्यायालय में उपस्थित हुआ और ना ही बैंक की बकाया राशि जमा कराई गई। अप्रार्थी को पुनः नोटिस जारी कर विधिवत् तामील कराई गई। नोटिस तामील के बावजूद अप्रार्थी ने बैंक ऋण की बकाया राशि बैंक में जमा नहीं करवाई और नाही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार अप्रार्थी की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एन एम पहाड़िया)  
जुम्हिल पहाड़िया  
जिला कलकट्टर धौलपुर  
धौलपुर